

20/3/2024


अपील की 'अ'

की उभे' क रहे

उभे' क रहे

✓ से से ड

उभे' क रहे

अपील की आर से धनील  
 की हीनड आरडा उपरिपत  
 हीनड प्रपण उरिपि 157 एए  
 का प्रस्तुत किया। परापली का  
 अपीलकन किया। मूल अपील  
 पूर्वकी आगालकन द्वारा अपनी आरिस  
 किंक उडा। 10। 12 के द्वारा प्रपणकन  
 की। तलम वही कएण जाने के बाधाए  
 पर खासि की गई थी। वरुके उपरान्त  
 प्रपणिका / अपीलकीका सन्ती के द्वारा  
 डा फर 04। 19-157 एए का प्रस्तुत  
 का उक्त खासि किंक उडा। 10। 12 की  
 अपास्त करने हेतु निवेदन किया  
 गया। उक्त डा 0 फर किंक 01-2018  
 की स्वीकण किया गया। आतः  
 डा फर स्वीकण ही जाने के फलस्वरुप  
 मूल अपील में कार्यवाही की  
 जानी अपेक्षित थी। पन्तु प्रकउ  
 04। 19-157 एए विविध डा 0 फर  
 स्वीकण होने के बावजूद भी  
 उक्त हेतु विचारार्थि है,   
 इरुस्त किया जाना अपेक्षक है।  
 से व मूल अपील की किंक  
 पर पुना किया जाके आगामी

लगातप

नम्बर  
महल  
कम  
जा

हुक्म की जानी है  
 कता धारणा है गली  
 है सि ड एस्तगत प्रकश को  
 प्रथम चर प्रथम ही कत कत  
 हुए अपील के रूप में इवनिस्ट  
 की जाने/ प्राण फ ०३५५-१५१ फे  
 पर अपीलवाली अधिवक्ता को  
 हुना गला अधिवक्ता अपीलवाली  
 का निवृत्त किया गया है अपील  
 प्रकश में प्रत्यक्ष ही करे से  
 घटने से अधिवक्ता नियुक्त है ही  
 स्थिति में प्रत्यक्ष के अधिवक्ताओं  
 को औपचारिक नोटिस आवत-गतगत  
 में उपस्थित होने के लिये कराने  
 हेतु निवृत्त किया कता प्रथम चर  
 स्वीकृत किया जाता है नही जाये  
 ही प्रत्यक्ष जिकर न्यायालय  
 को फेर है